न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 895-तीन/2009 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 06-07-2009 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा - प्रकरण कमांक 641/1994-95 अपील

रामेश्वर प्रसाद पुत्र शिवकरण लाल
ग्राम चाकघाट तहसील त्योंथर जिला रीवा ---आवेदक

विरूद्ध

1- रामप्रसाद पुत्र बद्रीप्रसाद
2- श्रीमती इन्द्रकली पत्नि हरमंगल प्रसाद
3- रामपंच 4- श्रीनिवास पुत्रगण हरमंगल प्रसाद
5- इन्द्रकलिया पुत्री बद्रीप्रसाद
6- रामकैलाश 7- रामसखा 8- रमाकांत
सभी पुत्रगण रघुनाथ प्रसाद
9- मुस. दुअसिया पत्नि स्व. रघुनाथ प्रसाद
सभी ग्राम चाकघाट तहसील त्योंथर जिला रीवा --अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 11-8-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 641/1994-95 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-7-09 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि रामप्रसाद, हरमंगल, महिला इन्द्रकलिया ने ग्राम चाकघाट की भूमि सर्वे कमांक 383/1, 382/1 कुल किता 2 कुल रकबा 2.11 जर्य विक्रय पत्र आवेदक के हित में विक्रय की। विक्रय पत्र के

आधार पर तहसीलदार त्योंथर ने ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 17 पर आदेश दिनांक 6-2-1991 से केता का नामान्तरण कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर ने प्रकरण क्रमांक 11 अ-6/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-3-1995 से अपील अवधि-वाह्य मानकर निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 641/1994-95 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-7-09 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करते हुये विलम्ब क्षमा कर दिया तथा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर की ओर गुणदोष के आधार पर निराकरण हेतु वापिस किया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस के साथ उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर , लेखी बहस के साथ उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकरण में विचार करना है कि अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा ने प्रकरण क्रमांक 641/1994-95 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-7-09 से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष तहसीलदार के नामान्तरण आदेश दिनांक 6-2-1991 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में हुये विलम्ब को क्षमा करने में त्रृटि की है अथवा नहीं ? अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर के प्रकरण क्रमांक 11 अ-6/1993-94 अपील के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तहसीलदार के नामान्तरण आदेश दिनांक 6-2-1991 के विरूद्ध दिनांक 9-12-1993 को अपील प्रस्तुत हुई है और इस विलम्ब को अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 27-3-95 से क्षमा नहीं किया है जबकि अपर आयुक्त, रीवा संभाग ने आदेश दिनांक 6-7-09 में विवेचना की है कि प्रश्नाधीन भूमि का नामान्तरण चोरी-चोरी बिना किसी आधार के कराया गया है जिसकी जानकारी अपीलांट्स को 17-11-1993 को हुई तथा दिनांक 19-11-1993 को बिना किसी विलम्ब के नामान्तरण पंजी की नकल प्राप्त करके दिनांक 9-12-93 को

अपील प्रस्तुत कर दी गई जो अन्दर म्याद है। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 6-7-09 में आगे विवेचित किया है कि ग्राम चाकघाट की भूमि सर्वे कमांक 383/1, 382/1 कुल किता 2 कुल रकबा 2.11 ए. रू. 10,000/- में विक्रय किया जाना न तो संभव है और न व्यवहारिक है इस संबंध में जांच के पश्चात ही किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है इसलिये प्रकरण में गुणदोषों पर सुनवाई आवश्यक है। अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 6-7-09 में इस प्रकार की गई विवेचना प्रकरण की परिस्थितियों अनुसार सही प्रतीत होती है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 641/1994-95 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-7-09 हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 641/1994-95 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-7-09 उचित प्रतीत होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर